राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1279/2015/बीकानेर.

मैसर्स पूजा वूलन मिल,
एफ–125, करणी इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–पंचम, वृत–ए, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 490/आरवेट/बीकानेर/2013–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.3.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत–ए, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेंगा) की धारा 23, 24 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.3.2013, जिसके द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 5,000/– की शास्ति आरोपित की गयी है, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 5000/– की शास्ति आरोपित की गयी है जो विभिन्न न्यायिक निर्णयों की दृष्टि से अविधिक है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने जो प्रथम बार आदेश पारित किया था उस आदेश में शास्ति आरोपित करने के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताया गया था बल्कि केवलमात्र शास्ति आरोपित करना बताया गया था एवं उसके पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश को दुरूस्त करने के लिये पुनः एक अलग

लगातार.....2

आदेश दिनांक 25.3.2013 को अर्थात् उसी दिनांक को पारित करते हुए उसमें यह बताया गया कि त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के कारण व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया था एवं नोटिस की पालना में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए शास्ति आरोपित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आरोपित शास्ति का समर्थन किया एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गम्भीर भूल किया जाना प्रकट होता है कि पहले प्रिन्टेड प्रोफार्मा में एक कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.3.2013 को पारित किया गया था जो कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कर निर्धारण आदेश स्वघोषित कर निर्धारण योजना के तहत दर्शाते हुए धारा 23 व 24 सपठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) के तहत एक अलग ही आदेश पारित किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उसकी प्रति को अब कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से हटाते हुए एक अलग आदेश धारा 24(4) के तहत पारित करते हुए उसमें रिटर्न हेतु नोटिस जारी करना बताया एवं कोई जवाब नहीं देना मानते हुए आदेश पारित किया गया है।

7. उक्त दोनों आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजकीय दस्तावेजों के साथ एक झूठे दस्तावेज को संलग्न करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह दूसरे कर निर्धारण आदेश में जो नोटिस जारी करना बताया गया है उसमें जारी करने की तारीख दिनांक 28.9.2013 बतायी है, जबकि आदेश पत्र में ऐसी कोई तारीख नहीं बताई गई है जबकि नोटिस में भी तामील कुनिन्दा द्वारा यह रिपोर्ट ली गई कि यह व्यक्ति बार–बार जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं होने से नोटिस डाक से भेजा जावे। इन दोनों नोटिसों की प्रतियां उपलब्ध हैं, परन्तु उसके बाद डाक से कोई नोटिस भेजा जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इस प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जानबूझकर राजकीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गयी है एवं एक ही अधिकारी द्वारा दो तरह के आदेश पारित किये गये हैं, जो अपील पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

लगातार.....3

8. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये ही शास्ति का आरोपण किया जाना प्रमाणित होने के साथ इस प्रमाण को हटाने की दृष्टि से एक दुसरा आदेश पत्रावली पर रखने के प्रमाणित होने से एवं उसमें भी नोटिस तामिल नहीं होना पुष्ट होने से आरोपित शास्ति रू. 5000/– अपास्त की जाती है एवं अपीलीय आदेश अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य